उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड

UPSIDC

ए 1/4 लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं0 1050
कानपुर 208024
दूरभाष 0512-2582851-53(PBX)
फैक्स नं0 (0512) 2580797
वेबसाइट www.upsidc.com

13916 ...
11.10.17

सन्दर्भ संख्या 2597-95 /एसआईडीसी/IA/Policy Vol-17 दिनांक 09-10-17

-कार्यालय आदेश-

उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 के औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा के बाहर स्थित औद्योगिक इका को निगम की अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग अनुमन्य करने हेतु शुल्क-निर्धारण के सम्बन्ध निदेशक मण्डल की दिनांक 25.09.2017 को सम्पन्न हुयी 296वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नवत आदेशित किया जाता है -

1 **ऐसी इकाईयो हेतु शुल्क का निर्धारण जिन्हे अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कि भी अवस्थापना सुविधा के विस्तारीकरण की आवश्यकता नही हो :-**

उपरोक्त श्रेणी की इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के प्रयोग देय शुल्क निम्नवत् लिया जायेगा।

(क) निगम की अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किये जाने हेतु एकमुश्त भुगतान रूप में प्रश्नगत औद्योगिक क्षेत्र की तत्समय प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर सम्बन्धित औद्योगिक इकाई के कुल क्षेत्रफल हेतु देय शुल्क

तथा

(ख) प्रश्नगत औद्योगिक क्षेत्र हेतु निगम द्वारा सामान्यतः लिये जाने वाला वा अनुरक्षण शुल्क जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 जुलाई को सम्बन्धित इ द्वारा निगम के नियमानुसार करना होगा।

2 **ऐसी इकाईयों हेतु शुल्क का निर्धारण जिन्हें अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने अवस्थापना सुविधाओं के विस्तारीकरण की आवश्यकता हो :-**

इस श्रेणी की इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के प्रयोग हेतु शुल्क निम्नवत् होगा

(i) बिन्दु सं0-1 के अनुसार देय शुल्क प्रतिवर्ग मी0।

(ii) आवेदक इकाई/इकाईयों हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विस्तारीकरण में आने वाले सम व्यय का भी पूर्ण/अनुपातिक भुगतान उक्त सुविधा प्रदान करने से पूर्व प्राप्त किया जायेग

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्तानुसार शुल्क का भुगतान प्राप्त कर औ०क्षे० की सीमा के बाहर स्थित इकाइयों को भी निगम की अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाएगी –

1. इच्छुक इकाईयों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जायेगा जिसके लिये प्रक्रिया शुल्क रू० 10,000 देय होगा।
2. निगम द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने पर निर्धारित समय के अन्तर्गत शुल्क जमा किया जायेगा।
3. इकाई एवं निगम के मध्य एक अनुबन्ध पंजीकृत किया जायेगा जिसमें उपरोक्तानुसार शुल्क का समय से भुगतान करने की शर्तें उल्लिखित होगी।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2192-15 / एसआइडीसी आइए पालिसी वाल्यूम–17 दि० 09-10-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
3. कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेशों को तत्काल निगम की वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिकारी / कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि० लि०, मुख्यालय, कानपुर।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner